न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी

प्रकरण संख्या - 84/19 जोगेन्द्रसिंह (RAS)

दायर दिनांक 19.5.19

प्रेमवती पुत्री जलसिंह पत्नि स्व० श्री देशराजसिंह जाति जाट निवासी धोंकरवाडा कलां हाल निवासी कुम्हा तहसील भरतपुर

-- वादिनी

बनाम

1. अमृतसिंह
11. रनवीर
111. ओमप्रकाश

} पुत्रान जलसिंह जाति जाट निवासी धोंकरवाडा कलां भुसावर

iv विमला पुत्री जलसिंह पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी धोंकरवाडा कलां हाल निवासी नाकू का नगला तह० कुम्हेर

v उर्मिला पुत्री जलसिंह पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी धोंकरवाडा कलां हाल निवासी गढ़ोली तह० नदबई (भरतपुर)

vi भगवती पुत्री जलसिंह पत्नि वीरसिंह जाति जाट निवासी धोंकरवाडा कलां हाल निवासी गढ़ोली तह० नदबई

vii राज० सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA

अधिवक्ता - 1. श्री चन्द्रशेखर तिवारी वादी
ii श्री आजाद बाबू प्रति० 1, 2
iii श्री छोटेलाल मीना 3, 4, 5, 6 प्रति०
iv श्री शिवचरण AAGP वादिनी

निर्णय दिनांक 10.3.22

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

दावे का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० खसरा 1298 रकबा 0.2100, 1299 रकबा 0.1400, 1343 रकबा 0.3100, 1345 रकबा 0.2200, 1373 रकबा ...

रकबा 0.0100, 1712 रकबा 0.4600, 1713 रकबा 0.1700, 1749 रकबा 0.2100, 1781 रकबा 0.4000. वाके ग्राम धौंकलवाड़ा कलाँ तह० मुख्यालय में स्थित है जिसमे वादनी 1/7 हिस्से के काबिज काश्त थप एवं खातेदार है तथा शामिल पूर्ण आराजी के हिस्से पर काबिज रहकर राज लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

विवादित आराजी वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है, जिसका अभी तक हम पक्षकारान में कानूनी विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर तथा चालाक किस्म के व्यक्ति हैं जो वादिनी की कमजोरी का नाजायज फायदा प्राप्त करते हुए आराजी के निहित हिस्से का पूरा पूरा फायदा नहीं उठाने देते हैं

अतः विवादित आराजी खाते का विभाजन हम पक्षकारान के बाई मीट्स एवं बाउण्ड किया जाकर अलग-2 कुरे कायम किये जाकर खातेदारी कायम कराई जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द कराने बाबत निवेदन किया गया।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की तामील में प्रतिवादीगण सं० 1, 2 की ओर से वकालतनामा श्री आजाद बापू एवं प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 5, 6 की ओर से श्री छोटेलाल मीना द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा उक्त दोनो की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। उक्त के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 16.9.20 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 8.3.21 को प्राप्त कुरेजात श्री० नि० किया गया। उक्त कुरेजात पर दिनांक 30-3-21 को अडावादी रनवीर द्वारा आपत्ति कुरे प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

प्रकरण में [illegible]

महोदय के न्यायालय में प्रा०पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत किया गया उक्त प्रा०पत्र श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय के न्यायालय में दिनांक 2.11.2021 के निर्णय से खारिज की गई है तथा दिनांक 3-3-22 को वादिनी की ओर से वकालतनामा [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा उक्त [illegible] को प्रतिवादी सं. 1,2 के अधिवक्ता श्री भगवान बल्लू द्वारा माननीय न्यायालय रेवन्यू बोर्ड में प्रकरण मुन्तकिली आदेश की प्रतिलिपि पेश करने पर बहस स्थगन चाहा था।

दिनांक 10.3.22 को वादिनी अधिवक्ता द्वारा मुकेजात आपत्ति पर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उक्त नियत दिनांक को प्रतिवादीगण सं. 1,2 के अधिवक्ता व स्वयं प्रतिवादी 1,2 उपस्थित नहीं आये।

हमने वादिनी अधिवक्ता को सुना गया प्रा०पत्र मुकेजात आपत्ति खारिज की जाती है तथा नहीं प्रति० 1,2 के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय रेवन्यू बोर्ड का कोई आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई।

वादनी एवं प्रतिवादीगण सं. 3,4,5,6 के अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया तथा विभाजन प्रस्ताव तथा जवाबदावे का अवलोकन किया गया।

विभाजन प्रस्ताव अनुसार नियमों के परिप्रेक्ष्य में दावा वादीनी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार भुसावर को आदेश दिया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार जमाबन्दी में दर्ज वादीनी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी होवे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.22 को लिखाया जाकर सुनाया गया

[illegible]

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)